रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2299] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2019/आषाढ़ 25, 1941
No. 2299] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2019/ASHADHA 25, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

का.आ. 2527(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 879 (अ) के *तहत* जिला न्यायाधीश IV-सह-अपर सत्र प्रभारी न्यायाधीश के न्यायालय, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, सुश्री पूनम ए बाम्बा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नई दिल्ली जिला),पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1879 (अ) के *तहत* उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1879 (ड) के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति की सिफारिश पर एतद्द्वारा श्री यशवन्त कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश

(नई दिल्ली जिला) पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2019

S.O. 2527(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 879 (E) dated the 19th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of District Judge IV-cum-Additional Sessions Judge in-charge, New Delhi Police District, Patiala House Courts, New Delhi, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the National Capital Territory of Delhi for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Ms. Poonam A. Bamba, District & Sessions Judge (New Delhi District), Patiala House Courts, New Delhi, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1879 (E) dated the 13th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1879 (E), dated the 13th June, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi, hereby appoints Mr. Yashwant Kumar, District & Sessions Judge (New Delhi District), Patiala House Courts, New Delhi, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

का.आ. 2528(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2165(अ) के *तहत* जम्मू एवं श्रीनगर में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम/आतंकवादी गतिविधि निवारण अधिनियम (टाडा/पोटा) के तहत अभिहित न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम/आतंकवादी गतिविधि निवारण अधिनियम (टाडा/पोटा) के तहत अभिहित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी श्री हक नवाज़ ज़रगर (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), (तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश), जम्मू जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 09 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 2534(अ) के *तहत* उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 09 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2534 (अ.) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया

था, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर टाडा/पोटा के तहत अभिहित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, श्री सुभाष चंद्र गुप्ता (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), (तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश), जम्मू को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2019

S.O. 2528(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2165 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Acts (TADA/POTA) at Jammu and Srinagar, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Jammu and Kashmir, for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Haq Nawaz Zargar, (District & Sessions Judge), Presiding Officer, Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Acts (TADA/POTA) (3rd Additional District and Sessions Judge), Jammu, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2534 (E) dated the 9th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 2534 (E), dated the 9th August, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir, hereby appoints Sh. Subash Chander Gupta (District & Sessions Judge), Presiding Officer, Designated Court under TADA/POTA (3rd Additional District & Sessions Judge), Jammu, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.07.16 20:27:45 +05'30'